समाचार-प्रकाशनार्थ:-

34 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर आज लगेगी कोरोना वैक्सीन

18 वर्ष से अ धक आयु के सभी नागरिकों को लगेगी वैक्सीन

रतलाम 30 जून। रतलाम नगर में शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन कये जाने हेतु 01 जुलाई गुरूवार को 34 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर नगर के 18 वर्ष से अ धक आयु के समस्त नागरिकों को प्रातः 9 बजे से कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जायेगी।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क 18 वर्ष से अ धक आयु के ऐसे नागरिक जिन्होने कोरोना का पहला टीका नहीं लगवाया है वे अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाये।

वार्डवार बनाये वैसीनेशन सेन्टरों के तहत वार्ड क्रमांक 1ए 2 व 3 रामकला सभागृह वार्ड क्रमांक 4 व 5 गुरू रामदास स्कूल वनोबा नगरए वार्ड क्रमांक 6 व 7 मार्निंग स्टार स्कूल इन्द्रलोक नगरए वार्ड क्रमांक 8 संत नामदेव पब्लिक स्कूल वनोबा नगर वार्ड क्रमांक 10 व 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 9 व 12 सांई श्री एकेडमी स्कूल 80 फीट रोडए वार्ड क्रमांक 13 सद्धेश्वर वाटिका सखवाल नगरए वार्ड क्रमांक 14 व 15 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगरए वार्ड क्रमांक 16 व 17 उत्कृष्ट वद्यालय सागोद रोडए वार्ड क्रमांक 18 व 19 शांति निकेतन स्कूल टाटा नगरए वार्ड क्रमांक 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागरए वार्ड क्रमांक 22 मानस भवन मोती नगरए वार्ड क्रमांक 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बालाजी नगरए वार्ड क्रमांक 24 सब्जीफरोश जमातखाना सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 25 व 26 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला मालीकुआंए वार्ड क्रमांक 27 व 38 जमातखाना शैरानीपुराए वार्ड क्रमांक 28 मांग लक भवन दिलीप नगरए वार्ड क्रमांक 29 कम्युनिटी हॉल मड टाउनए वार्ड क्रमांक 30 व 31 काजीखान की मस्जिद जावरा रोडए वार्ड क्रमांक 32 व 33 लायंस हाल पावर हाउस रोडए वार्ड क्रमांक 34ए35 व 36 रांगोली मैरिज गार्डन गीता मंदिर रोडए वार्ड

क्रमांक 37ए 39 व 40 का लका माता धर्मशालाए वार्ड क्रमांक 41ए 42ए 43 व 44 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजारए वार्ड क्रमांक 21 व 45 महाकाल धर्मशाला खान बावड़ीए वार्ड क्रमांक 46 व 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोडए वार्ड क्रमांक 48 व 49 सूरज हॉल वेदव्यास कालोनीए न्यू कलेक्टोरेट महू रोड (सरकारी कर्मचारी व परिवार व वदेश जाने वाले व्यक्तियों हेतु)ए घटला रेलवे अस्पताल (रेलवे कर्मचारी व परिवार हेतु)ए इप्का (इप्का कर्मचारियों हेतु) पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

इसके अलावा को वशील्ड के दूसरे डोज हेतु डीआरएम ऑ फस दो बत्तीए अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए काश्यप सभागृह सागोद रोडए लोकेन्द्र टॉ कज व कोर्ट (सर्फ जिला न्यायालय कर्मचारी) पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

को वड अनुकूल व्यवहार स्वंय भी करें व ग्राहकों से भी करवायें
व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकानदारों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

रतलाम 30 जून। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार को वड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने व्यापारिक संघोंए प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा दुकानदारों की बैठक निगम सभागृह में लेकर आव्हान कया क को वड अनुकूल व्यवहार स्वंय भी करें व ग्राहकों को भी कराये।

आयोजित बैठक में बताया क को वड-19 की दूसरी लहर के पश्चात् वगत दिनों में को वड-19 के प्रकरणों के प्रकरणों में कमी आई है। इसके परिप्रेक्ष्य में नागरिकों की सु वधा की दृष्टि से कोरोना कर्फ्यू हटाने की कार्यवाही की जा रही है। को वड-19 का प्रकोप पुनः महामारी के रूप में ना फैलें इसके लये सभी नागरिकों से को वड अनुकूल व्यवहार अपे क्षत है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क रतलाम नगर में सभी की भागीदारी से कोरोना कन्ट्रोल में हैए को वड-19 का प्रकोप पुनः महामारी के

रूप में ना फैलें इस हेतु सभी व्यापारिक संघए व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार स्वंय भी करें व ग्राहकों को भी कराये।

उन्होने आव्हान कया क दुकानों में प्रवेश के लए ग्राहकों की सी मत संख्या रखेंए बिना मास्क के प्रवेश वर्जित करेंए कूपन सस्टम लागू करेंए सोश्यल डस्टें संग का पालन करेंए भोजनए नाश्ताए दूधए मठाई आदि की होम डलीवरी करें। सघन बाजारों में सी मत संख्या में प्रवेश का पर्यवेक्षण व्यापारिक संघो द्वारा स्वंय कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क को वड अनुकूल व्यवहार करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानए दुकानदारों को पुरूस्कृत कया जायेगा व को वड अनुकूल व्यवहार का पालन नहीं करने वालों के वरूद्ध चालानी कार्यवाही की जायेगी।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए श्री सत्यप्रकाश आचार्यए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए निगम स चव श्री जसवंत जोशीए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए दुकानदार व व्यापारिक प्रतिष्ठान के मा लक सर्वश्री कमल कटारियाए सुरेन्द्र चत्तरए राजेश पटवाए जितेन्द्र देवानीए मोहनलाल मुरलीवालाए संजय पारख भगवानदास आदि उपस्थित थे।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण

सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर कठोर कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम 30 जून। नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अ धक चुस्त-दुरस्त बनाये जाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः वार्ड क्रमांक 8ए 9ए 10 व 11ए वरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन व जुलवानिया टे‍ चंग ग्राउण्ड का निरीक्षण उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास के साथ कर सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर स्वास्थ्य वभाग के अ धकारी एवं कर्मचारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 8ए 9ए 10ए 11 व 12 में पदस्थ सफाई संरक्षक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह की वेतन वृ द्ध रोके जाने झोन प्रभारी श्री वनय चौहानए वार्ड क्रमांक 8 व 9 की दरोगा मोनिका चौहानए वार्ड क्रमांक 11 के दरोगा श्री तरूण राठौड़ की परी वक्षा अव ध 6 माह बढ़ाये जानेए वार्ड क्रमांक 12 के दरोगा श्री अर्जून गौसर का 1 दिवस का वेतन काटे जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 10 का हाजरी रजिस्टर चेक करने पर 1 कर्मचारी को बिना आवेदन अवकाश देने पर वार्ड दरोगा श्री राजू कल्याणे व संबं धत कर्मचारी का एक-एक दिवस का वेतन काटे जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये।

वरियाखेड़ी टं ासफर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क कसी भी कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा नहीं आये इसकी सुनिश्चित्ता की जाये साथ ही एक काम्पेटर में गीला व एक काम्पेटर में सुखा कचरा डाले जाने के निर्देश दिये इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा जुलवानिया टे चंग ग्राउण्ड का भी निरीक्षण कया गया।

डेंगू का मरीज मलने पर सफाई के साथ कराया कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 30 जून। पीएण्डटी कालोनी क्षेत्र में डेंगू का मरीज मलने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मरीज के घर के आसपास साफ-सफाई करवाई जाकर कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करवाया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह ने मरीज के घर के आसपास साफ-सफाई करवाई इसके अलावा कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाकर मरीज के परिजनों को समझाईश दी क वे पानी को एकत्रित कर उसे खुला ना छोड़े क्यों क डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है।

रतलाम नगर के नागरिक डेंगू से ग्रसत ना हो इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों से अपील की है क वे छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी न जमा होने देंए सप्ताह में एक बार अपने कूलरए बाल्टीए टबए टंकी आदि का पानी खाली कर इन्हे सुखा देवेंए पानी के बर्तनोंए टंकी आदि को ढंककर रखेंए घर के आसपास के गढ्डों में पानी जमा ना होने देंए मच्छरदानी का उपयोग करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

30 जून को 73 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 30 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 30 जून मंगलवार को 73 टन कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया। 30 जून बुधवार को डम्पर व टेªक्टर ट्रॉली से 39585ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 19835ए काम्पेक्टर गीला कचरा 12345 व कन्टेटमेंट मैजिक से 1465 कलो इस तरह कुल 73230 कलो कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

बगैर मास्क के 21 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 30 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबधतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 30 जून को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर कन्हैया रेस्टोरेंटए चेतनए राकेशए संजय

तोपखानाए जय गुरू गुर्जर चांदनी चौक पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा शहर के व भन्न क्षेत्रों में 21 ऐसे व्यक्ति जो बगैर मास्क के पाये गये उन पर 100.100 रूपये का जुर्माना कर मास्क अनिवार्य रूप से लगाये जाने की समझाईश स्पॉट फाईन दल द्वारा दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

1011 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 30 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 30 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1011 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 30 जून को तोपखानाए गौशाला रोडए हाट रोडए वेदव्यास कालोनी आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500ध् वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध

रतलाम 30 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभा वत परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अ धकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् जीर्ण-शीर्ण भवनों को चन्हित कया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पु लयाओं को चन्हित कर रे डयम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं ना लयों के अतिक्रमण चन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के

नाले ना लयों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल भटनागर मो0नं0 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456ए अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश संह सेंगर मो0 नं0 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भ मो0 नं0 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त कया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री वकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समु चत निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के वनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रो में छोटे एवं बड़े नाले-ना लयों की वर्षा पूर्व समु चत सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की निय मत रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक

संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अ धकारी एवं स्वच्छ्ता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबं धत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले ना लयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-ना लयों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबं धतों को दिये।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/30ण्06ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.